



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



21 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 33 राँची, गुरुवार,

11 जनवरी, 2024 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

9 जनवरी, 2024

संख्या-08/गठन/138/2014 न०वि०आ०-145--रामगढ़ छावनी पर्षद के असैनिक क्षेत्र (Civil Area) को विमुक्त करते हुए उन क्षेत्रों को रामगढ़ नगर परिषद में समायोजित किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित Modalities for Excision के लिए समिति का गठन किया गया था। समिति की दिनांक-20.06.2023 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही में लिए गये निर्णय के आलोक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रामगढ़ छावनी पर्षद के पत्रांक- M/III/1/CBR/Exci/2023/03, दिनांक-28.06.2023 द्वारा Excision हेतु Assets and liabilities, Income and Expenditure तथा प्रस्तावित क्षेत्र का नक्शा उपलब्ध कराया गया है। रामगढ़ छावनी पर्षद से प्राप्त प्रस्ताव पर उपायुक्त, रामगढ़ का मंतव्य प्राप्त किया गया है, तथापि प्राप्त Modalities प्रस्ताव का उच्च स्तरीय मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

2. अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में रामगढ़ छावनी पर्षद से प्राप्त Modalities प्रस्ताव का मूल्यांकन हेतु श्री ज्ञानेन्द्र कुमार भा०प्र०से०, अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में निम्नवत समिति का गठन किया जाता है :-

क्र०	पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार भा०प्र०से०, अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची	अध्यक्ष
2.	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा नामित प्रतिनिधि (उप सचिव स्तर से अन्यून)	सदस्य
3.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा नामित प्रतिनिधि (उप सचिव स्तर से अन्यून)	सदस्य
4.	वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा नामित प्रतिनिधि (उप सचिव स्तर से अन्यून)	सदस्य
5.	रामगढ़ छावनी पर्षद द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6.	उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा नामित प्रतिनिधि (अपर समाहर्ता स्तर के)	सदस्य
7.	श्री कुन्दन कुमार, उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य सचिव
8.	कार्यपालक पदाधिकारी, रामगढ़ नगर परिषद	सदस्य

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोहर मराण्डी,
सरकार के अपर सचिव ।
